!/68846/2022

परिवहन विभाग, उत्तराखण्ड द्वारा डिपों कार्यशाला एवं मण्डलीय कार्यशाला ट्रान्सपोटनगर देहरादून का निर्माण कार्य किये जाने हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव के अनुमोदनार्थ मुख्य सचिव महोदय की अध्यक्षता में दिनांक 15 सितम्बर, 2022 को आयोजित व्यय वित्त समिति की बैठक का कार्यवृत्त

मुख्य सचिव महोदय की अध्यक्षता में सम्पन्न व्यय वित्त समिति की बैठक दिनांक 15 सितम्बर, 2022 में उक्त प्रस्ताव पर विचार–विमर्श किया गया। बैठक में निम्न अधिकारीगण उपस्थित थे :–

1. श्री अरविन्द सिंह ह्यांकी, सचिव, परिवहन विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
2. श्री सी0 रविशंकर, अपर सचिव, पर्यटन एवं वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
3. श्री अहमद इकबाल, अपर सचिव, वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
4. श्री विनीत कुमार, अपर सचिव, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
5. श्री रोहित मीणा, अपर सचिव, नियोजन विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
6. श्री गंगा प्रसाद पन्त, तकनीकी विशेषज्ञ, राज्य योजना आयोग, उत्तराखण्ड।
7. श्री विनोद कुमार, सलाहकार (अभियन्त्रण), राज्य योजना आयोग, उत्तराखण्ड।
8. श्री एन0पी0सिंह, डी0जी0एम0 (टी0), मण्डी परिषद, उत्तराखण्ड।

1. **कार्य की आवश्यकता एवं औचित्य** :– वर्तमान में डिपों मण्डलीय कार्यशाला हरिद्वार रोड देहरादून में स्थित है, जिसे ट्रान्सपोर्टनगर में स्थापित किया जाना है। वर्तमान में संचालित कार्यशालाओं के भवन अत्यन्त जीर्ण–शीर्ण है। कार्यशालाओं को ट्रान्सपोर्ट नगर में स्थापित किये जाने पर कार्यशालाओं के कर्मचारियों को शासकीय कार्य किये जाने पर सुगमता होगी तथा निगम के कार्यालय कार्य एवं निगम की बसों के रख–रखाव में सुविधा प्राप्त होगी।
2. **भूमि की उपलब्धता** :– विभाग द्वारा अवगत कराया गया है कि कार्यशाला एवं कार्यालय भवन हेतु ट्रान्सपोर्टनगर में 8.2 एकड भूमि उपलब्ध है।
3. **योजना के अन्तर्गत प्राविधान** :– योजना में निम्न कार्यो का प्राविधान किया गया है :–

3.1 डिपों कार्यशाला के दो मंजिले भवन में 20 कक्षों, 02 स्टोर रूम, 02 Stair case, 02 शौचालय एवं 60 x 15 मीटर की कार्यशाला (Double Height)।

3.2 मण्डलीय कार्यशाला के दो मंजिले भवन में 20 कक्षों, 02 स्टोर रूम, 02 Stair case, 02 शौचालय एवं 60 x 15 मीटर की कार्यशाला (Double Height)।

3.3 टायर शॉप का दो मंजिलें भवन में हॉल, शौचालय, Stair Case एवं 02 नग स्टोर।

3.4 गोदाम एवं स्टोरेज के दो मंजिले भवन में दो हॉल/गोदाम एवं दो स्टोर रूम।

3.5 परिवहन निगम कार्यालय भवन के छः मंजिले भवन में Basement, Stilt, परिवहन कार्मिकों हेतु 15 x 23 मीटर के चार हॉल तथा 52 केबिन, 08 स्टोर कक्ष, 04 शौचालय, Staircase and Lift।

3.6 स्थल विकास में सी0सी0 Pavement पार्किंग, औद्यानिक कार्य, नाली निर्माण।

3.7 Pump, विद्युत केन्द्र, Under Ground Tank अग्नि सुरक्षा कार्य, चाहरदीवारी एस0टी0पी0 कम ई0टी0पी0 के कार्य।

3.8 Furniture की आपूर्ति का कार्य।

क्रमशः पृष्ठ–2/–

4. व्यय वित्त समिति की बैठक में प्रस्तुतिकरण हेतु राज्य योजना आयोग का अभिमतः–

4.1 योजना के सम्बन्ध में विभागीय समिति की बैठक सचिव, परिवहन विभाग, उत्तराखण्ड शासन की अध्यक्षता में दिनांक 05.08.2022 को सम्पन्न हुई जिसमें प्रस्तावित कार्यो के सम्बन्ध में समिति द्वारा सहमति प्रदान करते हुए प्रकरण की महत्ता एवं तत्कालिकता के दृष्टिगत प्रस्ताव को व्यय वित्त समिति में टी0ए0सी0 द्वारा परीक्षणोपरान्त औचित्यपूर्ण पायी गयी धनराशि के अनुरूप प्रस्तुत किये जाने की सहमति प्रदान की गयी।

4.2 निर्माण स्थल का Geo Technical Investigation, M/s SRF Consultant द्वारा किया गया है मिट्टी की SBC 2.00 मीटर गहराई में Strip and Isolated Footing हेतु क्रमशः 8.50 एवं 10.00 मी0टन प्रति वर्ग मीटर आंकलित की गयी है।

4.3 प्रस्तावित निर्माण कार्य की M/s Accurate and Associates Infra Pvt. Ltd द्वारा Archtectural Design and Planning की गयी है। Archtectural Drawing संलग्न की गयी है।

4.4 प्रस्तावित निर्माण कार्यो का Tentative Structural Design Er. Pappu Mourya द्वारा की गयी है। कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व स्ट्रक्चरल डिजाइन कर स्ट्रक्चरल ड्राइंग का किसी मान्यता प्राप्त संस्था से वैट कराया जाना आवश्यक है।

4.5 कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व परिसर की डी0पी0आर0 में प्राविधानित Concrete Pavement का डिजाइन करते हुए किसी मान्यता प्राप्त संस्था से वैट कराया जाय।

4.6 आगणन में दरे एस0ओ0आर0 2021 एवं डी0एस0आर0 2018 की ली गयी है, जो दरें शिड्यूल में उपलब्ध नहीं है बाजार दरों पर आधारित है, बाजार की दरों पर आधारित मदों हेतु अधिप्राप्ति नियमावली–2017 के प्राविधानों के अनुरूप कार्यवाही की जाय।

4.7 कार्यदायी संस्था की कार्य सम्पादित कराये जाने की सीमा रू0 10.00 करोड निर्धारित है।

4.8 कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व कार्यशाला / कार्यालय भवन में मानकों के अनुरूप Carpet / Plinth Area की गणना की जानी आवश्यक है।

4.9 पूर्व में शासनादेश संख्या–(1) / 2021 / 56 / IX-2 / 2021 दिनांक 22.04. 2022 द्वारा उक्त कार्य में रू0 457.01 लाख की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गयी थी। वर्तमान में उक्त स्वीकृति धनराशि में शामिल कार्यो को वर्तमान योजना में निहित किया गया है। अतः उक्त शासनादेश को निरस्त किया जाना उचित होगा।

4.10 प्रस्तावित योजना की लागत का विवरण निम्नानुसार है :–

(धनराशि रू0 लाख में)

S. No.	Particular	Amount
1	Total Cost of Work	2265.71
2	Cost of Furniture	28.13
3	Cost Index	37.44
4	Contingencies	64.42
5	Add GST 12% on SOR	28.54
6	Centage Charges@6.5%	152.88
	Total	**2577.12**

परियोजना की कुल लागत – रू0 2577.12 लाख

क्रमशः पृष्ठ–3/–

5. <u>व्यय वित्त समिति में विस्तृत चर्चा के उपरान्त निर्णय</u> :–

प्रश्नगत योजना के सम्बन्ध में व्यय वित्त समिति में विस्तार पूर्वक चर्चा की गयी, व्यय वित्त समिति द्वारा आगणन में प्रस्तावित सभी कार्यो को निर्धारित मानकों के अनुसार क्रियान्वयन हेतु निर्देश दिये गये।

परिवहन विभाग के अनुरोध पर समिति द्वारा सम्यक विचारोपरान्त उपरोक्त के आलोक में प्रस्तर–4.10 के अनुसार रू0 2577.12 लाख के प्रस्ताव/आगणन **को निम्न प्रतिबन्धों के साथ अनुमोदित किया गया** :–

5.1 Idle पार्किंग में Electric Cable Duct का निर्माण करते हुए Charging Point का प्राविधान किया जाय।

5.2 कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व Warehouse के निर्माण के प्रस्ताव पर अग्नि सुरक्षा तथा अन्य नियम एवं विनियमों के अनुसार अनापत्ति प्राप्त कर ली जाय।

5.3 कार्यशाला के Stake Holder से सुझाव प्राप्त कर इनका योजना में समावेश कर लिया जाय।

5.4 कार्य पर मदवार उतना ही व्यय किया जाय जितनी मदवार धनराशि स्वीकृत की गयी है। स्वीकृत धनराशि से अधिक व्यय कदापि न किया जाय।

5.5 निर्माण सामग्री यथा रेत, बजरी, रोडी, सीमेन्ट तथा सरिया, Maxfpalt / Emulsion एवं अन्य प्रयुक्त निर्माण सामग्री का आई0एस0 कोड के मानकों के अनुसार समय–समय पर एन0ए0बी0एल0 द्वारा Accredited प्रयोगशाला में परीक्षण अवश्य कराया जाय।

5.6 निर्माण कार्य की तृतीय पक्ष गुणवत्ता परीक्षण अवश्य सुनिश्चित किया जाय।

5.7 निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व ड्राइंग एवं डिजाइन सक्षम अधिकारी से अवश्य अनुमोदित करायी जाय तथा तकनीकी स्वीकृति प्रदान करते समय आवश्यक मदों का ही समावेश किया जाय।

5.8 आगणन में लोक निर्माण विभाग की एस0ओ0आर0 2021–22 की दरें ली गई है एवं उसी के अनुरूप मदें एवं विशिष्टयां भी उल्लिखित है। विशिष्टयों तथा दरों में परिवर्तन की दशा में कार्य की कुल स्वीकृत लागत में भी परिवर्तन हो सकता है। ऐसी स्थिति में विभाग के विभागाध्यक्ष की स्वीकृति अनिवार्य होगी। अतः मितव्ययता के दृष्टिकोण से यह अपरिहार्य है कि विभाग योजना की तकनीकी स्वीकृति प्रदान करते समय उन्ही मदों का आगणन में समावेश करेंगे जो अपरिहार्य मदें है।

5.9 विभागीय दरों के अतिरिक्त जो कार्य नॉन शिड्यूल मदों के अन्तर्गत कराये जाने है उनकी अधिप्राप्ति एवं क्रियान्वयन हेतु अधिप्राप्ति नियमावली 2017 का अक्षरस पालन सुनिश्चित किया जाय।

5.10 मितव्ययता के दृष्टिकोण से यथासम्भव स्थानीय उपलब्ध सामग्री का ही उपयोग किया जाय।

5.11 योजना क्रियान्वयन में Cost Effectiveness एवं Energy efficiency के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जाय।

5.12 योजना क्रियान्वयन हेतु सभी आवश्यक नियम एवं विनियमों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

5.13 परिसर में अग्नि सुरक्षा के प्राविधानों का विशेष ध्यान रखा जाय।

5.14 परियोजना की लागत पुनरीक्षित होने पर वास्तुविद् आदि की Fee में कोई वृद्धि नहीं होगी।

व्यय वित्त समिति के उपरोक्त क्रमांक 5.1–5.14 तक निहित शर्तो का कडाई से पालन सुनिश्चित किया जाय।

उक्त प्रतिबन्धों का समावेश इस सम्बन्ध में जारी किये जाने वाले शासनादेश में अवश्यमेव कर लिया जाय।

अन्त में अध्यक्ष, व्यय वित्त समिति द्वारा बैठक में उपस्थित समस्त प्रतिभागियों के प्रति धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक की कार्यवाही सम्पन्न हुई।

Signed by Rohit Meena
Date: 07-10-2022 10:35:40

(रोहित मीणा)
अपर सचिव

उत्तराखण्ड शासन,
राज्य योजना आयोग
(नियोजन विभाग)

संख्या 1406 /परिवहन विभाग/ई0एफ0सी0/रा0यो0आ0/2022

देहरादूनः दिनांकः 07 सितम्बर, 2022 अक्टूबर

उपर्युक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. सचिव, परिवहन विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
2. सचिव, वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
3. प्रोग्रामर, राज्य योजना आयोग, को इस आशय से कि व्यय वित्त समिति के अनुमोदन को राज्य योजना आयोग की वेबसाइट में अपलोड करें।

(रोहित मीणा)
अपर सचिव